

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-10/2007

/कृ०, पटना, दिनांक मई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स केमिनोवा इण्डिया लि०,

H/O-श्रीमति प्रमिला देवी, शीतला माता मन्दिर रोड,

छोटी पहाड़ी, अगमकुआँ, पटना-7

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-66 दिनांक 26.04.2001 एवं 104 दिनांक 21.10.2005 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वे० मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या 66 दिनांक 26.04.2001 एवं 104 दिनांक 21.10.2005 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम	क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	Buprofezin 25% SC	19	Triazophos 40% EC
2	Indoxacarb 14.5% SC	20	Prophenophos 50% EC
3	Thiamethoxam 25% WG	21	Imidacloprid 17.8 % SL
4	Acetamiprid 20% SP	22	Hexaconazole 5% EC
5	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP	23	Pretilachlor 50% EC
6	Acephate 25%+Fenvalerate 3%EC	24	Phosalone 35% EC
7	Acephate 75% SP	25	Chlorpyrifos 50% EC
8	Chlorpyrifos 20% EC	26	Thiophanate Methyl 70% WP
9	Quinalphos 25% EC	27	Imidacloprid 30.5% SC
10	Dichlorvos 76% EC	28	Deltamethrin 1% A.I+ Triazophos 35% A.I
11	Cypermethrin 10% EC	29	Tricyclazole 75% WP
12	Cypermethrin 25 % EC	30	Inidacloprid 70% WG
13	Alphamethrin 10% EC	31	Thiacloprid 21.7% SC
14	Mancozeb 75% WP	32	Lambda Cyhalothrin 5% EC
15	Carbendazim 50% WP	33	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG
16	Pendimethaline 30% EC	34	Dimethoate 30% EC
17	Glyphosate 41% SL	35	Malathion 50% EC
18	Tricentanol 0.1% aqueous EC	36	Hexaconazole 5% SC

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- **मेसर्स केमिनोवा इण्डिया लि०, H/O- श्रीमति प्रमिला देवी, W/O श्री अजीत कुमार, भूतल, खेसरा नं०-खाता नं०, शीतला माता मंदिर रोड, अगमकुआँ, पटना-800007**

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 66 दिनांक 26.04.2001 एवं 104 दिनांक 21.10.2005 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

2761

/कृ0, पटना, दिनांक 12 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।